संख्या-85/2022/I/193004/2022/004-71-2002-002-1-2021

प्रेषक,

अशोक कुमार,
विशेष सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान,
लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग -2 लखनऊ : दिनांक 22 जुलाई, 2022

विषयः- वित्तीय वर्ष 2022-23 में संस्थान के कार्मिकों के वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-1636/डा0रा0म0लो0आ0सं0/वित्त एवं लेखा/2022 दिनांक 15 जुलाई, 2022 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष वेतन मद में अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- शासनादेश संख्या-44/2022/I/157880/2022/001-71-2002-002-1-2021, दिनांक 21-04-2022 द्वारा संस्थान के वेतन मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष रू0 7875.00 लाख अवमुक्त की जा चुकी है।

3- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ को वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुदान संख्या-31 के अन्तर्गत राजस्व पक्ष में मानक मद 31-सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन) मद में प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्न तालिका के विवरणानुसार धनराशि अवमुक्त करते हुये आपके निवर्तन पर रखे जाने की सहर्ष स्वीकृति राज्यपाल महोदय निम्नांकित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन प्रदान करते हैं :-

क्र.सं.	संस्थान	लेखाशीर्षक	मद	अवमुक्त किये जाने हेतु प्रस्तावित धनराशि (रू० लाख में)
1	***2***	***3***	***4***	***5***
1	डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ।	2210-05-105-03-0325- डा0 राम मनोहर लोहिया इन्टीटयूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर	31- सहायता अनुदान-सामान्य (वेतन)	17876.25

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

<u>नियम व शर्ते/प्रतिबन्ध</u>

1. अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाकघर/बैक खाते आदि में नही रखा जायेगा।
2. स्वीकृत धनराशि का आहरण वास्तविक आवश्यकतानुसार एवं व्यय नियमानुसार किया जायेगा तथा इसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा, जिसके लिए यह धनराशि स्वीकृत की जा रही है। किसी अन्य मद में व्यय वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।
3. निदेशक, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ एवं वित्त अधिकारी द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि विगत वर्ष की कोई अप्रयुक्त धनराशि अवशेष है तो उसका समायोजन किया जा चुका है।
4. वित्त विभाग के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-13-2022/बी-1-454/दस-2022-231/2022 दिनांक 07 जून, 2022 में उल्लिखित प्रतिबन्ध/दिशा-निर्देशों के अनुपालन का दायित्व निदेशक, संस्थान एवं वित्त नियंत्रक का होगा।
5. स्वीकृत धनराशि का व्यय विवरण निर्धारित प्रारूप पर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा, इसके अभाव में अनुदान की आगामी किश्त निर्गत किया जाना सम्भव नहीं होगा।
6. धनराशि को कोषागार से वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्थान, लखनऊ द्वारा आहरित किया जायेगा तथा बिलों पर महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त किये जायेंगे।

4- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,78,76,25,000 (रुपये एक अरब अठहत्तर करोड़ छिहत्तर लाख पच्चीस हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 031 **लेखा शीर्षक** 2210051050325 डा. राममनोहर लोहिया इन्स्टीट्यूट आफ मेडिकल साइंसेज, गोमतीनगर, लखनऊ **मानक मद** 31 सहायता अनुदान - सामान्य (वेतन) के नामे डाला जायेगा।

5- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 13 / 2022/ बी-1-454/दस-2022-231/2022, दिनांक- 07-जून 2022 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधनित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

(अशोक कुमार)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-85/2022/I/193004/2022/004-71-2002-002-1-2021, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन लखनऊ।
5. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
6. नोडल अधिकारी, बजट आवंटन चिकित्सा शिक्षा विभाग, उ0प्र0 शासन।
7. वित्त अधिकारी, डा0 राम मनोहर लोहिया आयुर्विज्ञान संस्था न, लखनऊ।
8. वित्त ई-3/आय-व्ययक अनुभाग-1/2
9. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मुमताज अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।